SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

लक्ष्य 1 सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना

2030 तक	
1.1	अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन, वर्तमान में लोग $1.25प्रतिदन से कम पर जी रहे हैं।
1.2	राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार कम से कम इसके हर आयाम में आधा भाग घटाया जाए।
1.3	राष्ट्रीय समुचित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन कर सभी के लिए उपाय कर अधिक से अधिक गरीबों एवं असुरक्षितों को कवर कर यह लक्ष्य प्राप्त किया जाए।
1.4	आर्थिक संसाधनों, बुनियादी सेवाओं, भूमि पर मालिकाना हक एवं संपत्ति के अन्य रूप, विरासत, प्राकृतिक संसाधन जिसमें माईक्रोफिनेंस भी शामिल है, सब पर गरीबों एवं असुरक्षितों का हक सुनिश्चित किया जाए।
1.5	गरीबों और असुरक्षितों/कमजोरों को प्राकृतिक आपदाओं तथा आर्थिक एवं सामाजिक तथा पर्यावरणीय विपदाओं से जूझने के योग्य बनाएं।
1.a	विकासशील देशों द्वारा खास कर कम विकसित देशों के लिए किए जा रहे विकास सहयोग को तथा गरीब तबके और असुरक्षित/कमजोरों तक संसाधनों को उन तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए और कार्यक्रमों तथा नीतियों का क्रियान्वयन किया जाए जिससे कि गरीबी के सभी आयामों का उन्मूलन किया जा सके।
1.b	गरीब–समर्थक तथा लैंगिक संवेदनशील विकास रणनीतियों पर आधारित सभी स्तरों पर नीति फ्रेम. वर्क को मजबूत किया जाए तथा गरीबी उन्मूलन कार्यवाहियों को तेज किया जाए।

सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना

राष्ट्रीय योजनाएं एवं गनीतियां

नोडल मंत्रालय. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)	संबंधित हस्तक्षेप	लक्ष्य	अन्य संबंधित मंत्रलय एवं विभाग
1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (Core) 2. राष्ट्रीयग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) (Core Of the Core) 3. राष्ट्रीयग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) (Core) 4. राष्ट्रीयसामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) (M/o RD/M/o Finance) (Core Of the Core) 5. राष्ट्रीयभूमि रिकॉर्ड प्रबंधन कार्यक्रम (NLRMP)	1. प्रधानमंत्री जन–धन योजनाण 2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 3. अटल पेंशन योजना (APY)	लक्ष्य 1.1	ग्रामीण विकासए आवास एवं गरीबी उपशमन, कौशल विकास एवं उद्यमिता
		लक्ष्य 1.2	ग्रामीण विकास, आवास एवं गरीबी उपशमन, कौशल विकास एवं उद्यमिता
		लक्ष्य 1.3	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास, श्रम, महिला एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक कार्य, जनजाति कार्य
		लक्ष्य 1.4	कृषि एवं सहकारिता, भूमि स्रोत, पेयजल एवं सेनिटेशन, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शहरी विकास
		लक्ष्य 1.5	गृह कार्य
		लक्ष्य 1.क	ग्रामीण विकास,आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन
		लक्ष्य 1.ख	अतिरिक्त कार्य, ग्रामीण विकास

Source: - http://niti.gov.in/writereaddata/files/SDGsV20-Mapping080616-DG_0.pdf

खामियां और चुनौतियां

- सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, गरीबी जन गणक अनुपात (PHCR) वर्ष 2011–2012 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग(प्रतिदिन आय 2010 मे USD $1) का अनुमान इस प्रकार लगाया गया;
  - 25.7 : ग्रामीण क्षेत्र में
  - 13.7 : शहरी क्षेत्र में और
  - 21.9 : कुल मिलाकर
- गरीबी दर
  - अनुसूचित जाति में 30 प्रतिशत और
  - अनुसूचित जनजाति मे 33 प्रतिशत (थोरात, 2013).
- नौ राज्यों में गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी (स्रोत : भारत सरकार 2015)
  - उत्तर प्रदेश (29.43%), मध्य प्रदेश (31.65%), असम (31.98%), ओडिशा (32.59%), बिहार (33.74%), अरूणाचल प्रदेश (34.67%), मणिपुर (36.89), झारखंड (36.96%) और छत्तीसगढ़ (39.93%)
- यदि कैलोरी ग्रहण को गरीबी माप का संकेतक माना जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी (न्यूनतम आवश्यक पोषण) तो गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी का अनुपात 2010 में इस प्रकार है;
  - ग्रामीण क्षेत्र में 75.5% और
  - 73% शहरी क्षेत्र में (पटनायक, 2012).
- एनएसएसओ 2011 के अनुसार यदि गरीबी रेखा को प्रतिदिन रुपये 45 या कम माना जाए (असल में जो यूएस सीलिंग 1.25 के समकक्ष है एसडीजी में गरीबी रेखा है वह 2000 तक की खरीदारी की सामर्थ्य है।) वर्ष 2010 में :
  - 75% ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे और
  - 48% शहरी क्षेत्र में
- एनएसएसओ द्वारा वर्ष 2013 में अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश परकिए गए सर्वे के अनुसार ऋणग्रस्तता है;
  - अन्य पिछड़ा वर्ग (26 प्रतिशत)
  - अनुसूचित जाति (22 प्रतिशत)
  - अनूसूचित जनजाति (16ण्9 प्रतिशत)
  - सामान्य श्रेणी (19 प्रतिशत).

1

सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना

सुझाओ

1. भारत सरकार की विभिन्न नीतियों व कानून तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयनों एवं उनकी देखभाल तथा नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित संस्थाओं को तैयार करें।

2. स्थानीय स्तर पर हाशिए के वर्ग के लिए सूक्ष्म स्तरीय योजनाओं में भेदभाव रहित पहुंच, समता, स्थायितव एवं समावेश हेतु समुदाय आधारित संस्थाओं को तकनीकी एवं राजनीति रूप से सशक्त करना सुनिश्चित करें।

3. संविधान द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए दिए गए कार्य, अधिकारियों एवं फंड आदि के उपयुक्त उपयोग के लिए अलग किए गए स्थानीय समुदायों खास कर महिलाओं के लिए समान तथा स्थायी विकास के लिए समुदाय आधारित संस्थाओं के लिए स्वयं मजबूती के साथ आगे आना चाहिए।

4. वर्तमान में 'अनुमानित या काल्पनिक' आवंटन जो किए जाते हैं उनसे अण्जाए एवं अण्जण्जाण्को कोई लाभ नहीं होता है इसलिए अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना तथा अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रमों के लिए जो आवंटन किए जाते हैं, ये फंड इन वर्गों की सपंत्ति एवं रोजगार तथा आय अर्जन के लिए किया जाता है। अतः इनका आवंटन सुनिश्चित करें।

5. बेहतर टैक्स प्रबंधन एवं कानूनी नियमोद्वारा 'ब्लैक इकोनोमी' को रोकें तथा टैक्स का जीडीपी अनुपात एवं भारत सरकार का व्यय जीडीपी अनुपात को बढ़ाएं।

6. जन धन योजना को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाएं न कि सिर्फ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी कि यह वर्तमान में है और यह सुनिश्चत करें कि यह विगलित समूहों तक इसकी पहुंच हो और एमआईएस द्वारा ऑनलाईन इसको ट्रैक किया जाए ताकि अलग समूहों और मुख्यधारा के बीच जो खाई है वह कम की जा सके।

7. सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़े हुए सरकारी फंड को प्रदान किया जाए न कि पेंशन और नए बाजार आधारित तुच्छ प्रावधानों को। इससे गरीबों का भला नहीं होता है। क्योंकि उनकी आय अनियमित एवं बहुत कम होती है।

8. गरीबी उन्मूलन के लिए अलग या बहिष्कृत किए गए समूहों की न्याय तक पहुंच, उनके अधिकारों एवं सेवाओं तक की पहुंच के लिए गरीबी मिटाने के लिए सभी प्रकार के भेदभावों को खत्म किया जाए एवं एक सिस्टम विकसित किया जाए।

9. मनरेगा के तहत आवंटन को सुधारा जाए एवं उनका क्रियान्वयन किया जाए एवं समुचित सुधार के साथ जमीनी स्तर पर शहरी क्षेत्रों में स्थायी आजीविकाओंकासृजन किया जाए।